कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/**Head Office**

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: ए-12011/12/2020-भर्ती/परीक्षा/476 **दिनांक: 16.07.2025**

सेवा में,

सभी अ.के.आ (मुख्यालय)/ अ.के.आ (अंचल)

विषय: सामाजिक सुरक्षा सहायक (सीधी भर्ती 2024 बैच) के पद पर नियुक्ति - प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि सभी प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति-पूर्व और कार्यभार ग्रहण संबंधी औपचारिकताएँ पूरी करने हेतु कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

3. उपरोक्त के मद्देनजर, निम्नलिखित कार्रवाई की जानी आवश्यक है:

क. यदि पहले ऐसा नहीं किया गया है तो, जिन अभ्यर्थियों ने सा.सु.स. के पद पर कार्यभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया है, उनकी उम्मीदवारी औपचारिक रूप से रद्द की जाए।

ख. यदि उम्मीदवार को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उचित अवसर दिए जाने के बावजूद वह उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

ग. ऐसे उम्मीदवार भी हो सकते हैं जिनकी नियुक्तियाँ अभी तक रद्द नहीं हुई हैं और जिन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा संबंधी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं, लेकिन अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद भी संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे उम्मीदवारों को एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करने का अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। यदि उम्मीदवार इसके बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

घ. 31 जुलाई, 2025 के बाद का विस्तार केवल असाधारण परिस्थितियों में ही एसीसी (मुख्यालय)/अंचल के एसीसी द्वारा दिया जा सकता है और केवल उन उम्मीदवारों को दिया जा सकता है जो पहले से ही सेवा में हैं और जिन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा संबंधी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं। यह इस शर्त के अधीन है कि उम्मीदवार पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करे कि उसने एसएसए के पद पर चयन के बाद ईपीएफओ में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने पिछले विभाग/संगठन को अपना त्यागपत्र दे दिया है।

4. उम्मीदवारों को ईमेल (पंजीकृत मेल आईडी पर) और डोजियर में उल्लिखित पते पर डाक द्वारा सूचना भेजी जानी चाहिए।

5. परिणामी रिक्तियों के आधार पर राज्यों का पुनर्आवंटन करने और उसके बाद उम्मीदवारी रद्द होने पर एक और आरक्षित सूची तैयार करने हेतु उपरोक्त प्रक्रिया 31 जुलाई, 2025 तक पूरी कर ली जानी चाहिए। यह भी सूचित किया जाता है कि प्रतीक्षा सूची से नए डोजियर केवल उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द होने या त्यागपत्र देने (यदि कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो) पर ही उपलब्ध कराए जाएँगे।

यह सुनिश्चित किया जाए कि संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

भवदीय,
(पी.पी.एस. मैंगी)
क्षेत्रीय पी.एफ. आयुक्त-I (भर्ती)